फा. सं. 1/37/प्रशा./2014-आर टी आई —/ ५२० भारत सरकार गृह मंत्रालय स्वापक नियंत्रण व्युरो

> पश्चिमी खंड 1, विंग सं 5, रामा कृष्णा पुरम, न्यू दिल्ली-110066

> > दिनाँक:- 22/10/2014

सेवा मे

अवर सचिव (एन.सी. I) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, कमरा नं. 267-डी, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।

विषय: स्चना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत हैदराबाद निवासी श्री प्लानीसामी विजयानन्द के आवेदन का अंतरण।

महोदय

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के प्रावधानों के अनुसार, अवर सचिव (आंतरिक सुरक्षा- II) से प्राप्त दिनांक 17.10.2014 का पत्र तथा उसके साथ संलग्न हैदराबाद निवासी श्री प्लानीसामी विजयानन्द के आवेदन की प्रति, एतदद्वारा, यथोचित कारवाई के लिए आपके बिभाग के पास अग्रिम कार्रवाई के लिए अंतरित की जा रही है।

कृपया इस कार्यालय की सूचनाधीन आवेदक को अपेक्षित सूचना सीधे ही उपलब्ध करवाने का म करें।

ransted

सलग्नक:-उपरोक्त के अनुसार

भवदीय,

(माधी सिंह)

उप निदेशक(प्रसाशन)/के.ज.सू.अ.

प्रतिलिपि:-

श्री प्लानीसामी विजयानन्द, 203, आर.के. नगर, अद्दापुर, हैदराबाद - 500048 - आपके आर.ठी. आई आवेदन के संदर्भ में ।

श्री आशिष वी गवई, अवर सचिव (NCB), गृह मंत्रालय, नई - दिल्ली को उनके पत्रांक I-120122/11/2014-NCB.II दिनांक 17/10/2014 के संदर्भ में I

(ड्रग्स को "ना" जीवन को "हाँ" - ड्रग्स का उपयोग और अवैध व्यापार प्रतिबंधित एवं दंडनीय है।)